



भारत सरकार

सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम मंत्रालय
विकास आयुक्त (सूक्ष्म लघु एवं मध्यम)
एम एस एम ई - विकास संस्थान, इन्दौर

उद्यमिता सह कौशल विकास प्रशिक्षण कार्यक्रम

भारत सरकार, एम.एस.एम.ई.-विकास संस्थान, इंदौर द्वारा वर्ष 2017-18 में अनुसूचित जाति वर्ग के लिए आरक्षित उद्यमिता सह कौशल विकास प्रशिक्षण कार्यक्रम का आयोजन निम्नानुसार किया जा रहा है:-

क	प्रशिक्षण कार्यक्रम प्रारंभ होने की संभावित तिथि	प्रशिक्षण का विषय	कार्यक्रम के आयोजन का स्थान	वर्ग	योग्यता	
					आयु	शिक्षा
1	30.11.2017	उद्यमिता सह कौशल विकास प्रशिक्षण कार्यक्रम (कम्प्यूटर अकाउण्ट विद टैली पर आधारित)	सेनजोस इंस्टीच्यूट ऑफ कार्सलिंग एण्ड कैरियर गाईडेंस, मारिया नगर, ऋषि नगर, उज्जैन (पुष्पा मिशन अस्पताल के पीछे)	अनुसूचित जाति	18 वर्ष और उपर	10 वीं उत्तीर्ण

1. प्रशिक्षण अवधि : 06 सप्ताह ।
2. प्रशिक्षण शुल्क : अनुसूचित जाति वर्ग के लिए आरक्षित एवं निःशुल्क अन्य वर्ग के लिए शुल्क नियमानुसार ।
3. प्रशिक्षण विवरण : कार्यक्रम के तहत उद्यमिता सह कौशल विकास के अंतर्गत अनुभवी फेकल्टी द्वारा शासकीय वित्तीय योजनाओं की जानकारी के साथ-साथ उद्यमिता एवं कौशल विकास के संबंध में जानकारी प्रदान की जावेगी। प्रशिक्षण उपरांत भारत सरकार एमएसएमई-डीआई, इंदौर के द्वारा नियमानुसार प्रमाण-पत्र प्रदान किया जाएगा ।
4. आवेदन विधि : आवेदन सादे कागज पर, नीचे दिए ईमेल में दिनांक 29.11.2017 तक भेजा जा सकता है । (आधार कार्ड एवं मोबाईल नं0 आवश्यक है)

आवेदन के लिए संपर्क करे : विजय गर्ग, सहायक निदेशक मो: 9425349589

चेतन भारद्वाज, मो. 7049511777, 7828468461 फोन 0734-2511079)

E-mail: sanjosujain@gmail.com vijaygarge.59@gmail.com

आयोजक

निदेशक, एमएसएमई-विकास संस्थान,
10, पोलोग्राउण्ड, औद्योगिक क्षेत्र, इंदौर
फोन नं. 0731-2421037, 2421659,

E-mail: dcdi-indore@dcm sme.gov.in, Website: www.msmeindore.nic.in

दिनांक 23/11/17 को इंदौर भारत सरकार
उद्यमिता सह कौशल विकास कार्यक्रम के आयोजन के लिए